13/18 अनुपस्थित होने से आज
पत्रावली [illegible] अधिकारीजी
[illegible] अन्य कार्य
में व्यस्त [illegible] आदेश की पालना
में दिनांक 14-5-18

11/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान-2018 केम्प कोर्ट अरथला सेवा केन्द्र खुरमा पर रखने से आज पेश हुई। न्यायालय समय में बार-बार आवाजे लगवाई गई। परन्तु प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता व वादीगण केम्प उपस्थित नहीं हुए है प्रार्थी का कोई [illegible] आवाजे। अतः पत्रावली नियम उपरान्त/अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाबत से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द